

पटना उच्च न्यायालय के निर्णय क्षेत्राधिकार में
आपराधिक आवेदन संख्या- 4228-2024(एस.जे.)

(थाना कांड संख्या---38 वर्ष-2023 थाना-अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, जिला-मधुबनी से उत्पन्न)

=====

1. अशोक ठाकुर ,पुत्र- किशोरी ठाकुर ,ग्राम-फैंत, थाना-.-बासोपट्टी, जिला- मधुबनी
2. पवन ठाकुर, पुत्र- किशोरी ठाकुर ,ग्राम-फैंत, थाना-.-बासोपट्टी, जिला- मधुबनी
3. पुनिता कुमारी पत्नी-सुरेंद्र ठाकुर,ग्राम-फैंत, थाना-.-बासोपट्टी, जिला- मधुबनी, वर्तमान- बेलौर, थाना-मनिगाछी, जिला-दरभंगा

अपीलार्थगन.....

बनाम

1. बिहार राज्य
2. स्वर्गीय दुखमोचन राम, पुत्र - स्वर्गीय दुखमोचन राम ग्राम-फैंत, थाना-.-बासोपट्टी, जिला- ' मधुबनी

प्रतिवादीगण

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थीओं के लिए : श्री सुभाश कुमार झा, अधिवक्ता
 प्रतिवादीगण हेतु : श्री विनय मिश्रा, अपर लोक अभियोजक
 सूचनादाता हेतु : श्री रवि प्रकाश, अधिवक्ता, श्री
 उद्देश्य कुमार यादव, अधिवक्ता,
 श्री राजेश कुमार अधिवक्ता,
 श्री विनोद कुमार, अधिवक्ता

=====

दंड प्रक्रिया संहिता --- धारा 79, 82 --- भारतीय दंड संहिता --- धारा 341, 323, 504, 354 (बी), 379, 506/34 --- दण्ड अधिनियम --- धारा 3/4 ---- एससी और एसटी अधिनियम 1983 --- धारा 3(i)(आर)(एस)(डब्ल्यू), 3(2)(वीए) --- अपीलकर्ताओं के खिलाफ उद्घोषणा के आदेश (सीआरपीसी की धारा -82 के तहत) को इस आधार पर रद्द करने के लिए आवेदन कि न तो समन और न ही बीडब्ल्यू और एन.बीडब्ल्यू। अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है और न ही उसका तामिला रिकॉर्ड में उपलब्ध है। निर्णय दिया गया: तथ्य यह है कि 10.06.2023 को विशिष्ट आरोपों के साथ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, अपीलकर्ताओं ने कानूनी उपाय का सहारा नहीं लेना चुना और पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने में विफल रहने के बाद ही, गैर-जमानती वारंट लौटाने के बाद याचिका दायर की गई, अपीलकर्ता गहरी नींद से जाग उठे---हालांकि संबंधित न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 82 के तहत अनिवार्य कुछ तथ्यों को दर्ज करने में सावधानी बरतनी चाहिए थी, जो उक्त आदेश को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है जब इसे समग्रता में देखा जाता है और विशेष रूप से जब अपीलकर्ता लंबी अवधि तक गहरी नींद में रहे---वर्तमान याचिका में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है--- याचिका खारिज की जाती है। (पैरा-1, 21, 24)

Cr. विविध संख्या 66151 / 2023, Cr. विविध संख्या 629 / 2018

....विभेदित।

पटना उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेश

=====

समक्ष माननीय न्यायाधीश श्री राजीव रॉय

मौखिक आदेश

दिनांक -20-01-2025

पक्षों-को सुना

2. समन्वय पीठ के अंतिम आदेश के अनुसार, अवर निरीक्षक -अमन कुमार सिंह न्यायालय में मौजूद हैं।

3. वर्तमान आवेदन विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश, मधुबनी द्वारा जी. आर. संख्या 77/2023 तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति थाना कांड संख्या - 38/2023 में पारित आदेश दिनांक-10.06.2024.को रद्द करने के लिए 2023 वरीयता दिया गया है, जिसके द्वारा उन्होंने अपीलार्थियों के खिलाफ घोषणा आदेश (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-82), भारतीय दंड संहिता की धारा-341, 323, 504, 354(ख), 379, 506/34 एवम् डायन अधिनियम की धारा 3/4, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1983 की धारा 3 (आई) (आर) (एस) (डब्ल्यू), 3 (2) (वी. ए.) के तहत जी. आर. संख्या 77/2023 तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति थाना कांड संख्या -38/2023 में जारी किए गए हैं और जिसमे न तो समन जारी किए गए हैं और न ही जमानतीय वारंट या गैरजमानतीय वारंट जारी किए गए हैं और न ही उक्त आदेश की आज्ञा का पालन अभिलेख में उपलब्ध कराया गया हैं।

4. अभियोजन पक्ष के अनुसार, सुचनादाता ने आरोप लगाया कि उसकी जमीन के टुकड़े पर नजर रखते हुए आरोपी आया और घर बनाना चाहता था। जब सुचनादाता ने आपत्ति जताई, तो जाति का नाम लेकर दुर्व्यवहार किया गया और इन अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप है कि आरोपी ने उसकी गर्दन पर एक तौलिया रखा और उसे दबाने की कोशिश की, जबकि अन्य आरोपी ने उसकी पत्नी की शील भंग कर दी और कुछ राशि/गहने भी ले गए। चूंकि पुलिस पहले प्राथमिकी दर्ज करने में विफल रही, इसलिए शिकायत दर्ज की गई जिसके बाद अंततः प्राथमिकी दर्ज की गई।

5. वाद दिनांक 10.06.2023 को दर्ज किया गया मामले की जाँच हुई और अंत में 18.12.2023 को, पुलिस ने इन अपीलार्थियों सहित अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ वारंट जारी करने के लिए संबंधित न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। पुलिस को यह आदेश 20.12.2023. को आदेश प्राप्त हुआ जिसके द्वारा अपीलार्थियों सहित सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी किए गए थे।

6. अभिलेख से, ऐसा लगता है कि अन्य अभियुक्त व्यक्तियों ने न्यायालय के समक्ष 27.01.2024 को आत्मसमर्पण करने के बाद तुरंत जमानत को प्राथमिकता दी और उन्हें राहत दी गई। हालांकि, अपीलकर्ता गिरफ्तारी से बच गए। केस डायरी से पता चलता है कि पुलिस 18.01.2024 को वारंट के साथ अपीलार्थियों के घर गई लेकिन आरोपी फरार पाए गए। 28.02.2024 को फिर से, पुलिस ने वारंट को निष्पादित करने की कोशिश की लेकिन आरोपी को फरार पाया। यही तथ्य पुलिस द्वारा केस डायरी में 06.04.2024 और उसके बाद 05.06.2024 को दर्ज किया गया है।

7. यह पृष्ठभूमि में कहा गया था कि पुलिस ने राज्य के माध्यम से आरोपी अशोक ठाकुर, पवन ठाकुर और पुनिता कुमारी के खिलाफ गैरजमानती वारंट को वापस करके न्यायालय, में आगे की प्रार्थना के साथ याचिका दायर की ताकि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत पोस्टर लगाने का आदेश पारित किया जा सके। 8. 20.06.2024 को, न्यायालय ने पुलिस की उक्त प्रार्थना/याचिका को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, एक आदेश पारित किया गया। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या वे अग्रिम जमानत को वरीयता देते हैं, यह कहा गया कि कि सितंबर, 2024 के महीने में अग्रिम जमानत हेतु आवेदन दिया गया था जिसे संबंधित न्यायालय ने खारिज कर दिया था। बाद में, अपीलकर्ताओं द्वारा उक्त आदेश के खिलाफ आपराधिक अपील (एस. जे.) संख्या 4944/2024 पटना उच्च न्यायालय में दायर गया था जिसमें समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 30.10.2024 को पारित आदेश पर अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई है और वर्तमान में विद्वानविशेष न्यायाधीश, (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अधिनियम), मधुबनी के समक्ष लंबित है।

9. तदोपरांत, अभियुक्त व्यक्तियों के उसी समूह द्वारा दिनांक-10.06.2024 के आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका दायर की गई है।

10. अपीलार्थियों का वाद यह है कि दिनांक 10.06.2024 के आदेश से, यह प्रदर्शित प नहीं होता है कि गैरजमानती वारंट न्यायालय को वापस कर दिया गया था, जिसके संतुष्ट होने के बाद, उपरोक्त आदेश पारित किया गया था। उनका कथन है कि उस आधार पर इसमें, हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

11. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि वे बासोपट्टी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के तहत निवासी हैं, जबकि मामला अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है और इस तरह पुलिस कोदंड प्रक्रिया संहिता की धारा की धारा 79 को देखते हुए बासोपट्टी पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों को उनके घर पर छापा मारने से पहले विश्वास में लेना आवश्यक था।

12. उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान **दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-79** की तरफ आकर्षित किया है जो इस प्रकार है:

1. जब किसी पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट को जारी करने वाले न्यायालय के स्थानीय त्राधिकार से परे निष्पादित तो वह सामान्य रूप से इसके अनुमोदन के लिए या तो एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या एक पुलिस अधिकारी के पास ले जायेगा जो एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी पदाधिकारी से कम नहीं है, जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर वारंट को निष्पादित किया जाना है।
2. ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपने नाम का अनुमोदन करेगा और ऐसा अनुमोदन उस पुलिस अधिकारी के लिए पर्याप्त अधिकार होगा जिसे वारंट निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है, और स्थानीय पुलिस, यदि आवश्यक हो, तो ऐसे वारंट को निष्पादित करने में ऐसे अधिकारी की सहायता करेगी।
3. जब भी यह मानने का कारण हो कि मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने में देरी हुई है, जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में वारंट को निष्पादित किया जाना है, इस तरह के निष्पादन को रोकने के लिए, जिस पुलिस अधिकारी को यह निर्देश दिया गया है, वह इसे जारी करने वाले न्यायालय के स्थानीय अधिकार क्षेत्र से परे किसी भी स्थान पर इस तरह के समर्थन के बिना निष्पादित कर सकता है।।

13. उनका यह आगे का निवेदन है कि **दंड प्रक्रिया संहिता की धारा की धारा 82** के तहत आवश्यक प्रक्रिया का विद्वान न्यायालय द्वारा फिर से पालन नहीं किया गया यद्यपि यहाँ उनकी संतुष्टी का अभाव है। अपने वाद के समर्थन में, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान इस विशिष्ट संदर्भ में तत्कालीन विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश(**संजय कुमार बनाम बिहार राज्य तथा अन्य**), **आपराधिक विविध संख्या-629/2018** के पारा-23 की ओर आकर्षित किया है। जो इस प्रकार है:

23. **इंदरमोहन गोस्वामी** में (ऊपरइस बारे में कि गिरफ्तारी का जमानती वारंट कब जारी किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस बात पर जोर देते हुए संक्षिप्त रूप से निर्धारित किया गया है कि गिरफ्तारी या कारावास का अर्थ व्यक्ति के अधिकारों से वंचित करना है और इस प्रकार, न्यायालयों को गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट जारी करने से पहले बेहद सावधानी बरतनी होगी। उक्त मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की-

“53 किसी व्यक्ति को न्यायालय में लाने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया जाना चाहिए जब जमानती वारंट के समन का वांछित परिणाम होने की संभावना नहीं होगी। यह तब हो सकता है जब:

- यह विश्वास करना उचित है कि व्यक्ति स्वेच्छा से न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा, या
- पुलिस अधिकारी समन भेजने वाले व्यक्ति को खोजने में असमर्थ हैं, या
- ऐसा माना जाता है कि यदि व्यक्ति को तुरंत हिरासत में नहीं रखा जाता है तो वह किसी को नुकसान पहुंचा सकता है।

54. जहाँ तक संभव हो, यदि न्यायालय की राय है कि न्यायालय में आरोपी की उपस्थिति प्राप्त करने के लिए समन पर्याप्त होगा, तो समन या जमानती वारंट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

वारंट जारी करने पर होने वाले अत्यंत गंभीर परिणामों और प्रभावों के कारण, तथ्यों की उचित जांच और दिमाग के पूर्ण अनुप्रयोग के बिना जमानती या गैरजमानती वारंट कभी भी जारी नहीं किए जाने चाहिए। न्यायालय को बहुत सावधानी से जांच करनी चाहिए कि क्या आपराधिक शिकायत या प्राथमिकी एक अप्रत्यक्ष उद्देश्य से दर्ज नहीं की गई है

55. शिकायत के मामलों में, पहली बार में, न्यायालय को शिकायत की प्रति के साथ समन की तामील का निर्देश देना चाहिए। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त समन को टाल रहा है, तो न्यायालय को दूसरे बार में जमानती वारंट जारी करना चाहिए। तीसरी बार में, जब न्यायालय पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है कि आरोपी जानबूझकर न्यायालय की कार्यवाही से बचना चाह रहा है, , गैरजमानती वारंट जारी करने की प्रक्रिया का सहारा लिया जाना चाहिए जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि होनी चाहिए, इसलिए, हम पहली और दूसरी बार में अदालतों को गैरजमानती वारंट जारी करने से बचने के लिए आगाह करते हैं।

56. विवेकाधीकार शक्ति होने के कारण, इसका विधिपूरवक प्रयोग अत्यधिक देखभाल और सावधानी के किया जाना चाहिए। न्यायालय को वारंट जारी करने से पहले व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हित दोनों के बीच उचित रूप से संतुलन स्थापित करना चाहिए। वारंट जारी करने के लिए कोई हथकड़ी सिद्धांत नहीं हो सकता है, लेकिन एक सामान्य नियम के रूप में, जब तक कि किसी आरोपी पर एक जघन्य अपराध के अपराध के रूप में आरोप नहीं लगाया जाता है और यह स आशंका है कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा या वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा या विधि की प्रक्रिया से बचने की संभावना है, गैरजमानती वारंट जारी करने से बचना चाहिए।

57. न्यायालय को गैरजमानती वारंट जारी करते समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जनता और राज्य के हित के बीच उचित संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।

14. हालाँकि, विद्वान अधिवक्ता स्वीकार करते हैं कि आदेश गैरजमानती वारंट से संबंधित है न कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 से।

15. उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश दिनांक

14.08.2024 (अजीत कुमार बनाम राज्य) अपराधिक विविध संख्या 66151/2023 की ओर आकर्षित

किया है। अनुच्छेद 10 के उप-अनुच्छेद 21 के विशिष्ट संदर्भ में, जिसमें संजय कुमार के मामले को उद्धृत किया गया है, निम्नलिखित अवलोकन किया गया है।

21. वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, समन जारी होने के बाद ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि उन्हें आरोपी व्यक्तियों को सौंपा गया था। और समन की सेवा रिपोर्ट के अभाव में, न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए। इसके अलावा, गिरफ्तारी के जमानती वारंट की सेवा रिपोर्ट के अभाव में, न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ गिरफ्तारी के गैरजमानती वारंट जारी किए। इसके अलावा, समन की तामील, गिरफ्तारी के जमानती वारंट और गिरफ्तारी के गैरजमानती वारंट के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं होने के कारण और इस बात पर संतोष व्यक्त किए बिना कि आरोपी व्यक्ति फरार हैं या खुद को छिपा रहे हैं, विद्वान मजिस्ट्रेट ने एक लिखित घोषणा प्रकाशित करने का आदेश पारित किया जिसमें याचिकाकर्ता को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता थी और यहां तक कि खुद को संतुष्ट किए बिना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और 83 के तहत एक समग्र आदेश जारी किया।

16. पुनः अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह समन जारी होने के बाद वारंट जारी करने से संबंधित है। अंत में, उन्होंने विशिष्ट संदर्भ में **इलाहाबाद उच्च न्यायालय** के विद्वान एकल न्यायाधीश (**प्रदीप अग्रिहोत्री बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य**) के आदेश के पैराग्राफ-10 पर भरोसा किया है। जो इस प्रकार है:

10. सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में पुनर्इंदर मोहन गोस्वामी और अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य और अन्य (2007) 12 एस. सी. सी. 1 में इस क्रियाविधि का अवलोकन किया है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को

कैसे कम किया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक नागरिक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपनी स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संबंधित न्यायालय द्वारा इस तरह की स्वतंत्रता में कटौती की जा सकती है, यदि न्यायालय के पास विशिष्ट और ठोस कारण है तो उद्घोषणा आदेश जारी करते समय कारण का उल्लेख किया जाना चाहिए। प्रासंगिक वाद के पैरा-53। 54.55. 56 & 57 को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है:- जब गैर-जमानती वारंट जारी किए जाने चाहिए।

53. किसी व्यक्ति को न्यायालय में लाने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया जाना चाहिए जब जमानती वारंट के समन का वांछित परिणाम होने की संभावना नहीं होगी। यह तब हो सकता है जब: "यह स्वीकार्य है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से न्यायालय में पेश नहीं होगा, या "पुलिस अधिकारी उसे समन देने के लिए व्यक्ति को खोजने में असमर्थ हैं", या यह माना जाता है कि यदि व्यक्ति को तुरंत हिरासत में नहीं रखा जाता है तो वह व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है।

54. जहां तक संभव हो, अगर न्यायालय की राय है कि समन न्यायालय में अभियुक्त की उपस्थिति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त, समन या निंदनीय वारंट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वारंट जारी करने पर होने वाले अत्यंत गंभीर परिणामों और प्रभावों के कारण, तथ्यों की उचित जांच और दिमाग के पूर्ण अनुप्रयोग के बिना जमानती या गैरजमानती वारंट कभी भी जारी नहीं किए जाने चाहिए। न्यायालय को बहुत सावधानी से जांच करनी चाहिए कि क्या आपराधिक शिकायत या प्राथमिकी एक अप्रत्यक्ष उद्देश्य से दर्ज नहीं की गई है।

55. शिकायत वाद के मामलों में, पहली बार में, न्यायालय को शिकायत की प्रति के साथ समन की तामील का निर्देश देना चाहिए। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त समन को टाल रहा है, तो न्यायालय को दूसरी बार जमानती आदेश देना चाहिए। तीसरे बार में, जब न्यायालय पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है कि आरोपी जानबूझकर न्यायालय की कार्यवाही से बच रहा है, तो गैरजमानती वारंट जारी करने की प्रक्रिया का सहारा लिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है, इसलिए हम पहली और दूसरी बार में न्यायालयों को गैरजमानती वारंट जारी करने से बचने के लिए आगाह करते हैं।

56. विवेकाधीकार शक्ति होने के कारण, इसका विधिपूरवक प्रयोग अत्यधिक देखभाल और सावधानी के किया जाना चाहिए। न्यायालय को वारंट जारी करने से पहले व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हित दोनों के बीच उचित रूप से संतुलन स्थापित करना चाहिए। वारंट जारी करने के लिए कोई हथकड़ी सिद्धांत नहीं हो सकता है, लेकिन एक सामान्य नियम के रूप में, जब तक कि किसी आरोपी पर एक जघन्य अपराध के अपराध के रूप में आरोप नहीं लगाया जाता है और यह आशंका है कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा या विधि की प्रक्रिया से बचने की संभावना है, गैर-जमानती वारंट जारी करने से बचना चाहिए।

57. न्यायालय को गैरजमानती वारंट जारी करते समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जनता और राज्य के हित के बीच उचित संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।

17. यह उनका कथन है कि संबंधित न्यायालय ने वारंट की वापसी के साथ-साथ संतुष्टिकरण भी दर्ज नहीं किया है, अतः, आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित है।

18. दूसरी ओर राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान फिर से केस डायरी के पैराग्राफ 121 में आकर्षित किया है जिसमें यह दर्ज किया गया है कि अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ गैरजमानती वारंट का आदेश उनके खिलाफ पोस्टर लगाने का आदेश जारी करने के अनुरोध के साथ वापस किया जा रहा है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि हालांकि आदेश में वास्तविक पंक्ति गायब हो सकती है, लेकिन इसे केस डायरी के साथ पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए, जहां यह स्पष्ट है कि पुलिस ने गैर-जमानती वारंट वापस कर दिया और आरोपी व्यक्तियों के घर पर और उस पृष्ठभूमि में, अपीलार्थियों का कोई वाद नहीं बनता है।

19. उनका यह आगे कथन है कि अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का जो ध्यान जिस आदेश की तरफ आकर्षित किया है, वह समन जारी करने और बाद में उस वारंट से संबंधित है, जिसकी तुलना वर्तमान मामले से नहीं की जा सकती है, जहां तथ्यों से यह स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा गैरजमानती वारंट जारी होने के बाद, जानकारी होने पर, हालांकि कुछ अभियुक्त व्यक्तियों ने आत्मसमर्पण करने और जमानत लेने का विकल्प चुना, लेकिन वर्तमान अपीलकर्ताओं ने दूसरा रास्ता चुना और घर पर बार-बार छापा मारने के बाद पुलिस ने उन्हें अपने घर से फरार पाया, उस पृष्ठभूमि में, जब केस डायरी में दर्ज किया गया कि गैरजमानती वारंट जारी किए गए हैं, अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ पोस्टर लगाने का आदेश जारी करने के लिए निवेदन प के साथ वापस किया जाता है, यहाँ उक्त आदेश में कोई अवैधता नहीं है।

20. जहाँ तक प्रतिवादी संख्या-2 अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं कि घटना दो साल पहले होने के बावजूद अपीलार्थी संख्या-1 अशोक ठाकुर ने कहा कि उसने पीड़ित की सांस रोकने के लिए उसकी गर्दन पर तौलिया रख दिया, सफलतापूर्वक गिरफ्तारी से बच गया और अब कार्यवाही को स्थिर करने के लिए विलंबित अग्रिम जमानत मिलने के बावजूद अंतरिम संरक्षण चाहता है।

21. वाद के तथ्यों के साथ-साथ अभिलेख पर सामग्री और यहाँ प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियों को देखने के बाद, यह न्यायालय राज्य के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या .-2 के अधिवक्ता के कथनों को हमेशा प्राथमिकता देगा। तथ्य यह है कि विशिष्ट आरोपों के साथ 10.06.2023 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई, अपीलकर्ताओं ने कानूनी उपाय का सहारा नहीं लेने का फैसला किया, बहुत बाद में, गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। तुरंत, अन्य अभियुक्त व्यक्तियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और जमानत ले ली, जिसकी तारीखें पहले ही ऊपर दर्ज की जा चुकी हैं।

22. हालाँकि, अपीलार्थीगन, विशेष रूप से अपीलार्थी संख्या-1 जिनके खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। यह उनका वाद मामला नहीं है कि वह अन्य दो अपीलार्थियों के साथ तुरंत अग्रिम जमानत के लिए गए और अस्वीकृति पर राहत देने के लिए इस न्यायालय का रुख किया। पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने में विफल रहने के बाद, गैरजमानती वारंट

वापस करने के बाद याचिका दायर की गई, अपीलार्थी गहरी नींद से बाहर आए और दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की गईं, एक संबंधित न्यायालय द्वारा उनकी अग्रिम जमानत को खारिज करने के बाद ,आपरधिक अपील संख्या-4944/2024, जिसमें वे अंतरिम संरक्षण के तहत हैं और दूसरी अग्रिम जमानत हेतु वर्तमान अपील भी है।

23. जहां तक पटना उच्च न्यायालय के साथ-साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विभिन्न विद्वान एकल पीठों द्वारा पारित आदेशों का संबंध है, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने सही बताया कि यह समन/वारंट से संबंधित है और उक्त वादों के तथ्य किसी भी तरह से वर्तमान मामले से मेल नहीं खाते हैं, जहां अलग-अलग तिथियां स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि पुलिस ने सभी उपायों का सहारा लिया और केवल एक वर्ष बीतने के बाद और जब अपीलकर्ताओं ने गिरफ्तारी से बचने के दौरान कोई कानूनी उपाय नहीं लेने का फैसला किया, तो गिरफ्तारी वारंट वापस करने के बाद, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत प्रक्रिया जारी करने के आदेश हेतु गए, जो की स्वीकृत हो चुके थे।

24. यद्यपि संबंधित न्यायालय को कुछ तथ्यों को दर्ज करने में सावधानी बरतनी चाहिए थी जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत अनिवार्य हैं, लेकिन यह उक्त आदेश को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है जब इसे समग्रता में देखा जाता है और विशेष रूप से जब अपीलार्थी को लंबे समय तक पता न म रहे।

25. उस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय की राय है कि वर्तमान याचिका में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया गया है। तदनुसार इसे अस्वीकार कर दिया जाता है। दिनांक 23.10.2024 पर दिया गया अंतरिम संरक्षण अस्वीकृत किया जाता है।

26. जहाँ तक अमन कुमार पुलिस उपनिरीक्षक (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति थाना), मधुबनी का सम्बन्ध है, उनके अनुसार, वह केवल 15.12.2024 को शामिल हुए हैं और वर्तमान आदेश के बारे में पता चलने के तुरंत बाद, उन्होंने खुद को प्रस्तुत किया है। उस पृष्ठभूमि में, उन्हें भविष्य में सावधान रहने के लिए आगाह करने के बाद, उसका प्रस्तुतीकरण अलग हो जाता है।

27. याचिका खारिज की जाती है। आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को भेजी जाए जो विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश, मधुबनी द्वारा जी. आर. संख्या 77/2023 तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति थाना कांड संख्या -38/2023 में लंबित है।

(राजीव रॉय, जे)

रवि/-

खंडन (डिस्ट्रिक्चर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।